मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल

क्र. एफ 9–3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 अगस्त 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

—00—

वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–3/2019/नियम/चार, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 164% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 17% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों /परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मई 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :–

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात् संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 मई 2022 से (माह मई 2022 की पेंशन/ परिवार पेंशन, जो जून 2022 में देय होगी)।	10%	5%	174%	22%

* 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation)पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता(Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम–2/चार, दिनांक 05–10–76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशनं पर मंहगाई राहत की पात्रता नही होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

1552
EPP

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5–1–2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सनिश्चित करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग